

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। निम्नलिखित जिलों में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में या तो पद रिक्त है या वर्ष 2020 में माह दिसम्बर तक रिक्त होना संभावित है :-

क्र.	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या	बाल कल्याण समिति में रिक्तियों की संख्या
1.	ग्वालियर	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
2.	इंदौर	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
3.	रत्नाम	02 सदस्य	01 (अध्यक्ष)
4.	खंडवा	01 सदस्य	03 (1 अध्यक्ष/ 2 सदस्य)
5.	डिंडोरी	-----	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
6.	शाजपुर	01 सदस्य	01 सदस्य
7.	बड़वानी	02 सदस्य	01 सदस्य
8.	झाबुआ	01 (महिला पद)	-----
9.	अनूपपुर	01 (महिला पद)	-----
10.	रायसेन	02 सदस्य	-----
11.	बुरहानपुर	01 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
12.	धार	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
13.	आगर-मालवा	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
14.	अलीराजपुर	01 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
15.	बैतूल	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
16.	छतरपुर	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
17.	दतिया	-----	01 सदस्य
18.	जबलपुर	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
19.	मुरैना	-----	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
20.	नरसिंहपुर	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
21.	रीवा	01 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
22.	सीहोर	-----	01 सदस्य
23.	सिवनी	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
24.	शहडोल	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
25.	सीधी	-----	01 सदस्य
26.	खिदिशा	02 सदस्य	05 (1 अध्यक्ष/ 4 सदस्य)
27.	उज्जैन	02 सदस्य	-----
28.	सागर	01 सदस्य	-----
29.	पन्ना	01 सदस्य	-----
30.	सिंगरौली	02 सदस्य	-----

नोट :-

- डिंडोरी में बाल कल्याण समिति के समस्त पदों एवं अनूपपुर में किशोर न्याय बोर्ड में महिला पद हेतु आवेदित स्थालाकार में योग्य अभ्यर्थी न होने से पुनः विज्ञापन किया गया है।
- क्रमांक 06, 07, 11, 14, 17, 21, 22, 25, 28, 29 पर उल्लेखित जिलों हेतु पूर्व में जारी विज्ञप्ति दिनांक 08/10/2019 से तत्समय रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा चुके थे। उल्लेखित विज्ञप्ति में माह मार्च में जारी विज्ञप्ति के रिक्त पदों को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व में रिक्तियों हेतु जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अर्हताएं :-

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए (1) 01 जनवरी 2020 को न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए (2) शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकर्ताओं में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो या बाल मनोविज्ञान या मनःचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायगत व्यक्ति (Practicing Professional) होना चाहिए।

बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए (1) 01 जनवरी 2020 को न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए (2) शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो या बाल मनोविज्ञान या मनःचिकित्सा या समाजिक कार्य या मानव विकास या समाजविज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायगत व्यक्ति (Practicing professional) या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए। आवेदन संचालक, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालयीन समय में जमा अथवा पंजीकृत डाक/ कोरियर/ स्प्रीड पोस्ट से दिनांक 31/08/2020 तक अर्भकित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा। आवेदन प्रारूप एवं शर्तें आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in के निर्देश मेन्यु में उपलब्ध है।